भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2163
दिनांक 15 दिसम्बर 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस के पैनल में शामिल दंत चिकित्सा क्लीनिक/दंत चिकित्सा अस्पताल

2163: श्री सी. लालरोसांगा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वोत्तर में सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी दंत चिकित्सा अस्पतालों/दंत चिकित्सा क्लीनिकों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का पूर्वोत्तर के विभिन्न शहरो/कस्बों के सीजीएचएस संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों में दंत चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) पूर्वोत्तर में दंत चिकित्सा अस्पतालों/क्लीनिकों से सीजीएचएस के साथ सूचीबद्ध किए जाने के संबंध मे कया प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपने ग्रामीण और शहरी घटकों के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र), आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (एबीएचआईएम), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जैसे अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार सभी नागरिकों के लिए दंत चिकित्सा सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज शामिल करने के लिए प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गुवाहाटी, सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल भी सभी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीजीएचएस पैनल में शामिल निजी स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों की सूची सीजीएचएस वेबसाइट (https://cghs.gov.in/CghsGovIn/faces/ViewPage.xhtml) के लाभार्थी कॉर्नर टैब पर हैं। इनमें से मारवाड़ी अस्पताल, गुवाहाटी सीजीएचएस दरों पर दंत चिकित्सा प्रदान करता है। सीजीएचएस के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों को पैनलबद्ध करना स्वैच्छिक है और इच्छुक कोई भी अस्पताल पैनल योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इसके बाद इन्हें सी जी एच एस पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि वे पैनल में शामिल होने के नियम और शर्तों को पूरा करें।

****